तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार हाजिर। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते तामील रिपोर्ट .... दिनांक 3/2/26 को पेश हो।
03/2/2026	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप०। वकील प्रार्थी की प्रा०पत्र धारा 251 (A) पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती का हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

...री / अन्तिम सीमा पर अवस्थित है एंव अप्रार्थीगण की कृषी आराजी ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र
...व मे अवस्थित है जो एक दुसरे के सटिक है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की आराजी खसरा
...र 334/5 के आगे खसरा नम्बर 11 (जो मौके पर ग्राम तोलामाल बनाम भोजियावास जाने वाला
...स्ता) है जो प्रार्थीगण अपनी सह खातेदारी कि कृषि भूमि ग्राम फलोदा खसरा नम्बर 529/324 में आने
जाने हेतु ग्राम तोलामाल के खसरा सख्या 334/5 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की खातेदारी की भूमि
से होते हुये खसरा नम्बर 11 (रास्ता) है पर आवागमन करते है। प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारीयों के समय
से ही कदमी रूप से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के खातेदारी कि भूमि खसरा नम्बर 334/5 की भूमि
से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर आता–जाते है जो मानचित्र में अलग से लाल रंग से ए से बी
दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें एवं इसी रास्ते का प्रार्थीगण अपनी कृषि
भूमि में आने–जाने हेतु उपयोग–उपभोग अथवा कृषी कार्य हेतु काम में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण
सद्भाविक कृषक है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 5 (24) के तहत कृषक की श्रेणी में
है। जो कृषक अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके एक कृषक को अपनी
जोत तक पहुँचने के लिये 30 फीट के रास्ता का प्रावधान किया गया है जो खातेदार, काश्तकार को
अपनी आराजी में जाने के लिये अतिआवश्यक है जिससे यह कृषि कार्य कर सके। उपरोक्त अंकित
रास्ता सरल, लघुतम एवं निकटतम है अन्य प्रार्थीगण की सहखातेदारी कि आराजी खसरा नम्बर
529/324 जो ग्राम फलोदा में अवस्थित है एंव अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 11 की भूमि ग्राम तोलामाल
मे अवस्थित है इसके अलावा प्रार्थीगण को आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक मार्गाधिकार नहीं हैं। प्रत्येक
काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिये रास्ता होना विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा
उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थीगण का
हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थीगण राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–ए के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थीगण
द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य
निर्धारित किया गया है प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को राजकीय कोष में जमा
कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 02.09.2022 को जब उत्पन्न हुआ
कि प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी आराजी खसरा नम्बर 529/324 ग्राम फलोदा में स्थित है जिसमें जाने
हेतु प्रार्थीगण ग्राम तोलामाल के खसरा नम्बर 11 (जो मौके पर ग्राम तोलामाल बनाम भोजियावास जाने
वाला रास्ता) से होते हुये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की भूमि खसरा नम्बर 334/5 की आराजी से
जाते है जो (संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से बी दर्शित है) से होते हुये अपने खेत मे खाद से
भरी ट्रेक्टर लेकर जा रहा था तब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा मना कर दिया एवं अवरोध उत्पन्न
करने पर उतारू हो गये परन्तु प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के अकृत्य को विफल कर दिया
एवं प्रार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 02.09.2022 को राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी, नक्शा) की
प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया
है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण निरन्तर जारी है। खसरा नम्बर 334/5 अप्रार्थीगण की सहखातेदार एवं
कुछ सहखातेदारों द्वारा बैंक रहन दर्ज होने से पक्षकार कायम किया गया है, अप्रार्थी संख्या 12 भू–धारी
होने व माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु पक्षकार कायम किया गया है। प्रार्थना पत्र में
वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का
श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय व्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण
के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम फलौदा पटवार हल्का भोजियावास तहसील
किशनगढ़ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 529/324 रकबा 2.1115 हेक्टेयर भूमि में
प्रार्थीगण को आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु ग्राम तोलामाल के खसरा
नम्बर 11 रास्ता) के लगते हुये से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के खसरा नम्बर 334/5 में से (संलग्न
नजरी नक्शे में लाल रंग से ए से भी दर्शित है) 30 फीट रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान कराने एवं
प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को डी.
एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है, अप्रार्थी संख्या लगायत
11 द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थी तैयार व तत्पर है। यह
कि माननीय न्यायालय द्वारा पारीत आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 12 से त्वरित गति से किये जाने
हेतु आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

...ी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022 को दर्ज किया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। ...ांक 04.01.2023 तक भी बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से दिनांक 04.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 से 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौके की रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि आवेदनकर्ता की भूमि खसरा संख्या 529/324 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 334/5 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 529/324 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 334/5 में से दिया जा सकता है जिसके लिये खसरा संख्या 334/5 कुल रकबा 0.4530 हैक्टैयर में से 0.1261 हैक्टैयर अधिग्रहित की जायेगी। ग्राम तोलामाल के खसरा संख्या 334/5 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 1685688/- रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.1261 वर्ग मीटर की निर्वापित दोगुना राशि 425135/- अक्षरे चार लाख पच्चीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ की प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट से ताईद है कि आवेदनकर्ता की भूमि खसरा संख्या 529/324 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 334/5 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 529/324 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 334/5 में से दिया जा सकता है जिसके लिये खसरा संख्या 334/5 कुल रकबा 0.4530 हैक्टैयर में से 0.1261 हैक्टैयर अधिग्रहित की जायेगी। ग्राम तोलामाल के खसरा संख्या 334/5 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 1685688/- रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.1261 वर्ग मीटर की निर्वापित दोगुना राशि 425135/- अक्षरे चार लाख पच्चीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो जायेगा, जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थना पत्र, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम तोलामाल स्थित भूमि खसरा संख्या 334/5 में से 30 फीट रास्ते के अनुसार रकबा अधिग्रहित किया जावे । 30 फीट चौडाई के प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.1261 हैक्टेयर, भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर 1685688/- रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 334/5 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.1261 हैक्टेयर हेतु निर्वापित राशि की दोगुणा राशि राशि 425135/- अक्षरे चार लाख पच्चीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, राजस्व मण्डल सिविल डिपोजीट के मद 8443-00-103-00-00 में प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.1261 हैक्टैयर भूमि की प्रतिभूति राशि राशि 425135/- अक्षरे चार लाख पच्चीस हजार एक सौ पैंतीस रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2024/4798 दिनांक 18.07.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.1261 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में अंकित उनके हिस्से के अनुपात अनुसार नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़।